बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या:- 5709657 / पटना, दिनांक :- 04/06/26

ग्रा0वि0-R-504/35/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-404241)

श्री मृत्युंजय कुमार, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-181918), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा (मुंगेर) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, मखदुमपुर (जहानाबाद) के विरूद्ध जानबुझकर वरीय पदाधिकारी के आदेश का अवहेलना, बिहार वित्त नियमावली के नियम-31,32 एवं 34 के प्रतिकूल कार्य करने एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1973 के नियम-3(1) के उल्लंघन के आरोप पर जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक-44/गो० दिनांक-07.08.2024 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ ।

जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री मृत्युंजय कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत आरोपों की वृहत जांच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-3926899 दिनांक-07.04.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-4112501 दिनांक-22.05.2025 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री मृत्युंजय कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को स्वतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है ।

श्री मृत्युंजय कुमार के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मुंगेर से प्राप्त आरोप, संचालन पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन एवं श्री मृत्युंजय कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री मृत्युंजय कुमार के विरूद्ध जानबुझकर वरीय पदाधिकारी के आदेश का अवहेलना, गलत प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी को देना, सरकारी राशि का गबन करने में दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों एवं जन-प्रतिनिधियों को बचाने का प्रयास करना तथा बिहार वित्त नियमावली के नियम-31,32 एवं 34 के प्रतिकूल कार्य करने एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) के उल्लंघन का प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री मृत्युंजय कुमार, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-181918), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा (मुंगेर) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, मखदुमपुर (जहानाबाद) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 के नियम-3 के तहत **चेतावनी** का दंड अधिरोपित किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\अधिसूचना\श्री मृत्युंजय कुमार.doc

ज्ञापांक:- 5709657 / पटना, दिनांक :- 04/06/26

ग्रा०वि०- R-504/35/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-404241)

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 5709657 / पटना, दिनांक :- 04/06/26

ग्रा०वि०- R-504/35/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-404241)

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, मुंगेर एवं जहानाबाद/ उप विकास आयुक्त, मुंगेर एवं जहानाबाद /कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर एवं जहानाबाद /प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03 ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / श्री मृत्युंजय कुमार, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-181918), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा (मुंगेर) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, मखदुमपुर (जहानाबाद) /आई.टी.मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 5709657 / पटना, दिनांक :- 04/06/26

ग्रा०वि०- R-504/35/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-404241)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी